"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2019—आश्विन 19, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अगस्त 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/1-2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2018 AIS (I)-B, दिनांक 01-08-2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अधिकारी को राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	नवीन पदस्थापना
1.	श्री ओंकार सिंह	01.08.2019	संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

2. उपरोक्त दर्शित अधिकारी की भा.प्र.से. में नियुक्ति के दिनांक 01.08.2019 से, राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) प्रमुख सचिव, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को केवल प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) को Long term training programme "Executinve Master in Public Administration (EMP) at Maxwell School, Syracuse University. USA से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को केवल सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 सितम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2004), अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 सितम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-बीजापुर तथा अतिरिक्त प्रभार एस.डी.ओ., बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 2519/1-02/2018/1/5.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के पत्र क्रमांक ECI/PN/77/2019 दिनांक 25 अगस्त 2019 द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन-2019 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्रमांक-88 दंतेवाड़ा (अजजा) में विधानसभा उप निर्वाचन-2019 हेतु मतदान दिनांक 23.09.2019 दिन सोमवार को मतदान संपन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्रमांक-88 दंतेवाड़ा (अजजा) में विधानसभा उप निर्वाचन-2019 दिनांक 23.09.2019 दिन सोमवार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में उक्त तिथि को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. क्रमांक एफ 1-02/2018/1/5 : राज्य शासन एतद्द्वारा, यह भी घोषित करता है कि, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्रमांक-88 दंतेवाड़ा (अजजा) में विधानसभा उप निर्वाचन-2019 दिनांक 23.09.2019 दिन सोमवार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में उक्त तिथि को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 3-46/2019/नौ/पचपन-4.—डॉ. उल्हास गोन्नाडे आत्मज श्री रामचंद्र गोन्नाडे को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन उपरांत राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-30/93/17-मेडि-2 दिनांक 02.07.1994 द्वारा राजपत्रित सेवा 'द्वितीय श्रेणी' में प्रदर्शक फोरेंसिक मेडिसीन चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के पद पर नियुक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया जिसके अनुपालन में इन्होंने दिनांक 26.07.1994 को अपना कार्यभार ग्रहण किया.

2. डॉ. उल्हास गोन्नाडे, सहायक प्राध्यापक, फोरेंसिक मेडिसीन विभाग के कलेक्टर जिला रायपुर द्वारा जारी हल्बा (अनुसूचित जनजाति) जाति प्रमाण पत्र दिनांक 21.12.1978 को सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति एवं संचालक, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास के आदेश क्रमांक दिनांक 14.02.2019 द्वारा निरस्त किया गया है.

3. डॉ. उल्हास गोन्नाडे, सहायक प्राध्यापक को विभागीय पत्र क्रमांक 2771/832/2019/नौ/55-4, दिनांक 05.07.2019 द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 15.07.2019 तक वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है. विभागीय पत्र क्र. दिनांक 15.07.2019 के परिप्रेक्ष्य में डॉ. गोन्नाडे द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 12.07.2019 को प्रस्तुत किया गया है. जिसमें उनके द्वारा केवल उन्ही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये थे.

4. डॉ. उल्हास गोन्नाडे, सहायक प्राध्यापक, फोरेंसिक मेंडिसीन विभाग के हल्बा जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा निरस्त कर दिये जाने संबंधी आदेश दिनांक 14.02.2019 के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-21/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 30.08.2016 के उल्लेखित निर्देश पालन में डॉ. गोन्नाडे के सेवा समाप्ति के संबंध में विधि अनुकूल, न्याय संगत कार्यवाही करते हुए विचारोपरांत उनकी सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया है.

5. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2009/1-3 दिनांक 02.07.2012 में उल्लेखित निर्देश के परिप्रेक्ष्य में डॉ. उल्हास गोन्नाडे, प्रभारी सह-प्राध्यापक, फोरेंसिक मेडिसीन विभाग छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है.

6. डॉ. उल्हास गोन्नाडे, प्रभारी सह-प्राध्यापक, फोरेंसिक मेडिसीन विभाग छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ.ग.) का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के आधार पर सेवाएं समाप्त किये जाने संबंधी प्रकरण पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त की गई है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 3-46/2013/नौ/55-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. मंजू अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, फार्मोकोलॉजी विभाग, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, मध्यप्रदेश की सेवाएं, मध्यप्रदेश शासन की सहमति तथा प्रस्ताव के आधार पर, छत्तीसगढ़ चिकित्सा

शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 के नियम 6 के उपनियम (4) के तहत, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सहायक प्राध्यापक के पद पर संविलियन करते हुये उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में पदस्थ करता है.

2. प्रकरण में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर से परामर्श प्राप्त किया गया.

3. संविलियन उपरांत संबंधित की वरिष्ठता, शर्तें एवं निबंधन का निर्धारण पृथक से विभाग द्वारा जारी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. मोटवानी, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 अगस्त 2019

क्रमांक एफ 19-18/2015/25-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित वक्फ अधिनियम 2013) की धारा 14 (क) एवं उपधारा 14 (8) में निहित प्रावधानों के तहत् दिनांक 29.08.2019 को छ.ग. वक्फ बोर्ड की संयोजित सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा श्री सलाम रिजवी, नया पारा डबरी स्कूल के पास, रायपुर को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी एतद्द्वारा घोषणा की जाती है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्रमांक/6687/1084/2018/25-2.—विभागीय आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा डॉ. एस. जहीरुद्दीन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, प्रभारी उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला सुकमा की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एस. जहीरुद्दीन की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए डॉ. एस. ए. फारुखी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

डॉ. फारूकी की प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 1444/899/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री विनय कुमार सिंह, (भापुसे) महानिदेशक, नगर सेना, छ.ग. को दिनांक 22.07.2019 से 27.07.2019 (कुल 06 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 21 एवं 28 जुलाई 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक, महानिदेशक, नगर सेना, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ रहेंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 7-06/2014/दो-गृह (भापुसे).—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री अभिषेक मीणा (भापुसे 2010), सहा. पुलिस महानिरीक्षक, विआशा/नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 26 अगस्त 2019 से 13 सितम्बर 2019 (कुल 19 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 25 अगस्त 2019 एवं 14, 15 सितम्बर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मीणा आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विआशा/नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मीणा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा (भापुसे) अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 7-24/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री दीपांशु काबरा (भापुसे 1997), पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 05.10.2019 से 11.10.2019 (कुल 07 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री काबरा आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री काबरा को अवकाश वेतन, भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री काबरा (भापुसे) अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अगस्त 2019

क्रमांक/4665/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1)

के अधीन, प्रसंस्करण हेतु केन्द्र/राज्य अर्द्ध-शासकीय निकायों अथवा व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर, दिनांक 01.04.2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए मण्डी शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अगस्त 2019

क्रमांक/4665/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र./4665/रायपुर, दिनांक 27.08.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 27th August 2019

No./4665/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, fully exempts, under sub-section (1) of Section 19 of the said Act, market fees in whole on pulses, oilseeds and wheat brought from other States by the Central/State Semi-Government Bodies or businessman for processing, from 01.04.2019 till 31st March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKRA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अगस्त 2019

क्रमांक/4667/एफ-11/08/2019/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि निम्नलिखित स्थान, जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है, जिसके लिए इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8092-12680-चौदह-1, दिनांक 29 नवम्बर, 1969 द्वारा मण्डी स्थापित की गई है, फल एवं सब्जी उप-मण्डी प्रांगण होंगे, अर्थात् :—

स्थान

प.ह.नं. 09, ग्राम धमधा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग में खसरा क्र. 2579 के लगभग 2.050 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र निम्नानुसार है :—

1.	उत्तर में	-	पक्की सड़क
2.	दक्षिण में	-	मनहरण एवं हेमंत की भूमि
3.	पूर्व में	-	पूनाराम, मनेसर, गणपत, सुजीत कुमार एवं अन्य की भूमि तथा मुकुंद राव शेष की भूमि
4.	पश्चिम में	-	गीता खाण्डे की भूमि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अगस्त 2019

क्रमांक/4667/एफ-11/08/2019/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र./4667/रायपुर, दिनांक 27.08.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 27th August 2019

No./4667/F-11/08/2019/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares that the following places including all structures, enclosures, open place or locality in the market yard for which a market has been established by the department's Notification No. 8092-12680-XIV-I, dated 29th November, 1969 shall be fruit and vegetable sub market yard, namely :—

PLACE

An area obout 2.050 hectare land of khasra No. 2579 at Patwari Halka No. 09, Teshil Dhamdha, Village Dhamdha, District Durg are as under :—

1.	In North side	-	Pakki Road
2.	In South side	-	Land of Manharan and Hemant
3.	In East side	-	Land of Punaram, Manesar, Ganpat, Sujit Kumar and others and land of Mukund Rao Shesh.
4.	In West side	-	Land of Geeta Khande.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKRA, Joint Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2014/29.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के क्रमशः आदेश क्रमांक 6676-2184/XXI-B/C.G./2019 एवं 6666-2184/XXI-B/C.G./2019 तथा 6674-2184/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 04.07.2019 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवायें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरमों में "अध्यक्ष" पद हेतु "प्रतिनियुक्ति" पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी गयी है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम-3 में दर्शाये गये जिलों में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर पदस्थ करता है :—

स.क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	पदस्थापना जिला (3)
1.	श्री विजय कुमार एक्का, जिला एवं सत्र न्यायधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जगदलपुर

(1)	(2)	(3)
2.	श्रीमती ताजेश्वरी देवी देवांगन, नवम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, रायपुर.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जांजगीर-चांपा
3.	श्री लवकेश प्रताप सिंह बघेल, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग
4.	श्री अविनाश तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर
5.	श्री उत्तरा कुमार कश्यप अध्यक्ष जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, रायपुर	जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर
6.	श्री चंद्रकुमार अजगल्ले अध्यक्ष जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, बैकुण्ठपुर	जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, कोरबा
7.	श्री आनंद कुमार ध्रुव न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा	जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, बैकुण्ठपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अगस्त 2019

क्रमांक/ 7639/2532/21-ब/छ.ग./2019.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता के निम्नानुसार पद स्वीकृत करता है :—

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त महाधिवक्ता	04
2.	उप महाधिवक्ता	05
3.	शासकीय अधिवक्ता	03
4.	उप शासकीय अधिवक्ता	03

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद-(3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001 अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के फाईल क्रमांक F-2019-21-01747/ब-3/चार दिनांक 03.08.2019 के द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2019

क्रमांक 8084/4702/21-ब/छ.ग./2019.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित तालिका की कंडिका 2 में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु तालिका की कंडिका 3 में वर्णित व्यक्ति को अग्रिम आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से परामर्शदाता नियुक्त करती है :—

क्रमांक (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)	व्यक्ति का नाम (3)
1.	कबीरधाम (कवर्धा)	श्री राजेश कुमार पाठक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक/13422/भू-अर्जन/48 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कराईनारा प.ह.नं. 10	17.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	केहरानाला जलाशय योजना के नहर लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अगस्त 2019

क्रमांक/1433/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	भकुरमा	2.584	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	कुदर बसवार व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अगस्त 2019

क्रमांक/1435/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	सानीबर्रा	8.594	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	अटेम व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अगस्त 2019

क्रमांक/1437/01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	डांड़गांव	2.914	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	सोहरा नाला व्यपवर्तन योजना के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	0.763	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना की मनोहरपारा शाखा नहर क्र. 5/2 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	1.213	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना की जामझोर शाखा नहर क्र. 02.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	लोकेर प.ह.नं. 25	1.014	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना की उप शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	लोकेर प.ह.नं. 25	0.674	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना की दॉयी तट शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला प.ह.नं. 25	1.139	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना की दॉयी तट शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 06/अ-82/2017-18/12642.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बुचीहरदी प.ह.नं. 24	0.316	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा संभाग, चांपा.	बलौदा बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 09/अ-82/2017-18/12644.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	बलौदा प.ह.नं. 27	0.291	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा संभाग, चांपा.	बलौदा बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्रमांक 06/अ-82 वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बसना
- (ग) नगर/ग्राम-बुटीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.08
2/6	0.06
8/1	0.04
7	0.54
349	0.23
9	0.03
23	0.22
10/1	0.16
10/3	0.15
10/2	0.12
10/4	0.20
13	1.02
52	0.12
56	0.07
142	0.18
136	0.11
15	0.10
135	0.18
30	0.18
36/2	0.09
53	0.12
55	0.09
17	0.43
18	0.06
50/1	0.18
82	0.01
138	0.31
143/1	0.02
134	0.11
143/2	0.13
21/2	0.07
22	0.18
24	0.17
27	0.18
152	0.12
25	0.03
28	0.23
26	0.31
14/2	0.14
29	0.11
50/2	0.15
34	0.36
46	0.06
49	0.04
57	0.15
35	0.18
36/1	0.04
36/3	0.10
37	0.28
39	1.08
377	0.01
379	0.08
47	0.17
48	0.14
63	0.06
51	0.16
60	0.25
97	0.06
98	0.16
124	0.29
149	0.59
61/1	0.09
66	0.22
77	0.07
79	0.04
61/2	0.10
64	0.17
76/1	0.08
80/1	0.05

(1)	(2)
76/2	0.07
78/2	0.25
86	0.12
69	0.37
70	0.36
74	0.09
75	0.29
73	0.43
87	0.13
91	0.30
115	0.14
128	0.20
130	0.22
88	0.16
92	0.29
118	1.34
127	0.17
129	0.07
93	0.14
94	0.06
125	0.96
99	0.65
119	0.18
121/1	0.17
121/2	0.16
113	0.87
165	0.22
170	0.14
244	0.32
245	0.35
114	0.11
161	0.06
166	0.21
167	0.14
246	0.76
247	0.02
122/1	0.51
162	0.12
126	0.08
150	0.15
151	0.18
248/1	0.24
248/3	0.21
248/2	0.20
318/1	0.09
336/1	0.08
21/1	0.08
336/2	0.09
335	0.38
337	0.20
333	0.81
334	0.05
योग	26.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–बिला जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्रमांक 07/अ-82 वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–महासमुंद
- (ख) तहसील–बसना
- (ग) नगर/ग्राम–हेडसपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–12.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	0.10
32	0.20
240	0.03
305	0.29
33	0.67

(1)	(2)	(1)	(2)
34/1	0.07	272	0.04
34/2	0.26	252	0.13
34/7	0.11	270	0.03
34/8	0.09	253	0.28
34/9	0.09	271	0.04
34/10	0.05	269	0.01
236/6	0.05	274/2	0.04
34/3	0.09	289	0.05
34/4	0.10	290	0.06
34/5	0.09	299	0.04
34/6	0.06	305/464	0.12
236/1	0.04	417	0.07
273	0.01	224/5	0.12
35	0.52	297/4	0.08
36	0.52	297/7	0.02
227	0.22	224/6	0.14
239	0.18	297/2	0.05
241	0.09	297/3	0.08
222	0.05	297/5	0.08
217	0.11	306	0.02
218	0.14	308	0.07
219	0.26	311	0.03
220	0.11	313	0.25
229	0.07	307	0.08
243	0.51	310	0.02
294	0.03	314	0.28
223	0.27	309	0.14
226	0.10	312	0.49
228	0.34	237/1	0.06
231	0.17	237/2	0.04
225	0.64	237/3	0.04
242	0.06	237/4	0.04
246	0.30		
277	0.18	योग	12.30
309/465	0.86		
418	0.36		
233	0.08		
247	0.13		
245/1	0.07		
245/2	0.07		
248	0.10		
249	0.21		
250	0.20		
251	0.08		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिला जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.